जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 06.05.2021

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा खनन व्यवसायी से धन की नाजायज मांग पूरी करने एवं खनन स्थल पर पहुंचकर फायरिंग किये जाने के मामले में 04 अभियुक्त किये गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार एवं घटना में प्रयुक्त फारच्यूनर गाड़ी बरामद।

दिनांक 05.05.2021 को एक सफेद रंग की फारच्यूनर गाड़ी न0-एचआर-70सी/9998 में मतलूब प्रधान निवासी सहपत अपने साथियों के साथ मामौर स्थित खनन व्यवसायी रविन्द्र मलिक के खनन पट्टा स्थल पर पहुंचे और खनन कार्य करने के एवज में धन की अवैध मांग प्रति सप्ताह पूरी किये जाने की बात कही गयी, जिसे व्यवसायी रविन्द्र मलिक द्वारा इन्कार किये जाने पर अवैध हथियारों से डराते-धमकाते हुए अभियुक्तगणों द्वारा सीधे फायरिंग की गयी। घटना के सम्बन्ध में थाना कैराना पर रविन्द्र मलिक द्वारा दाखिल की गयी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

खनन व्यवसायी के साथ हुई घटना पर पुलिस अधीक्षक, शामली द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर थाना कैराना पुलिस को घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में आज दिनांक 06.05.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक शामली के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा जबरन वसूली हेतु फायरिंग की घटना में संलिप्त मतलूब प्रधान व उसके 03 साथी अभियुक्तों को 03 अवैध तमंचे, कारतूस एवं घटना हेतु प्रयुक्त फारच्यूनर गाड़ी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। एवं इनके विरूद्ध गैंगिस्टर एक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जायेंगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मतलूब प्रधान पुत्र शौकत निवासी सहपत थाना कैराना जनपद शामली।
2. राजकुमार पुत्र दिसम्बर निवासी सहपत थाना कैराना जनपद शामली।
3. जाबिर पुत्र जमालू निवासी सहपत थाना कैराना जनपद शामली।
4. सुमित पुत्र ओमपाल निवासी सहपत थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

1. अवैध 03 तमंचे 315 बोर, 05 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. घटना में प्रयुक्त फारच्यूनर गाड़ी न0-एचआर-70सी/9998।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कैराना मय पुलिस बल।

थाना आदर्शमण्डी

थाना आदर्शमण्डी द्वारा कोविड़ एल0-2 हास्पिटल में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 05.05.2021 को कोरोना संक्रमित श्री सत्यवान को कोविड़ एल0-2 हास्पिटल में उपचार हेतु परिजनों द्वारा भर्ती किया गया था। जहां ऑक्सीजन के लिए हास्पिटल कर्मी संजय कुमार द्वारा अवैध तरीके से 10,000/- रुपये लिये गये। श्री सत्यवान की कुछ समय पश्चात देर रात्रि में मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में मृतक की पत्नी ममतेश निवासी हरड़ फतेहपुर द्वारा हास्पिटल में कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे थाना आदर्शमण्डी को आवश्यक कार्यवाही हेतु सी0एम0एस0 जिला अस्पताल द्वारा अग्रेषित किया गया। तहरीर प्राप्त होने पर थाना आदर्शमण्डी द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।